संख्या–556 /9–6–2014–2(22)/2007

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2014

विषयः– तत्कालीन मण्डलीय उपसंवर्ग/सम्प्रति उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अंतर्गत नगर निकायों में बैकलाग को पूरा करने हेतु सृजित अधिसंख्य अस्थायी पदों की वित्तीय वर्ष 2013–14 की क्रमागत निरन्तरता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सां0सेल/121/मण्डलीय उपसंवर्ग/अधिसंख्य पद/07 दिनांक 25 फरवरी,2014 के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली,1966 में 23वॉ संशोधन करते हुये शासन की अधिसूचना संख्या–1899/9–6–2006–9मिस–05 दिनांक 13 सितम्बर, 2006 द्वारा उ0प्र0पालिका(केन्दीयित) सेवा 23वॉ संशोधन नियमावली 2006 बनायी गयी। इस नियमावली में नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के सफाई कर्मचारियों को छोड़कर समूह ग एवं घ के कतिपय कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुये पालिका मण्डलीय उपसंवर्ग बनाया गया । इस प्रकार तत्समय उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा मण्डलीय उपसंवर्ग तथा उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा संवर्ग थे। उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा मण्डलीय उपसंवर्ग के अंतर्गत नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में समूह ग और घ के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यमान बैकलाग को पूरा करने हेतु शासनादेश संख्या–2301/9–6–08–2(22)/2007 दिनांक 17.10.2007 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिये कुल 634 अधिसंख्य अस्थायी पदों का सृजन किया गया । इसके उपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या–1433/9–6–08–9मिस/2005 दिनांक 15 मई,2008 द्वारा उपर्युक्त मण्डलीय उपसंवर्ग से सम्बन्धित उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा 23 वॉ संशोधन नियमावली, 2006 को विखण्डित किया गया। परिणामस्वरूप शासनादेश संख्या–732/9–6–09–2(22)/2007 दिनांक 27 फरवरी,2009 द्वारा उपर्युक्त मण्डलीय उपसवंर्ग को उ0प्र0पालिका अक़ेन्द्रीयित सेवा संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया गया। नगर पालिका परिषद, फरीदपुर, बरेली में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यमान बैकलाग को पूरा करने हेतु शासनादेश संख्या–428/9–6–2010–2(22)/2007 दिनांक 13 अप्रैल,2010 द्वारा समूह ग के अंतर्गत लिपिक के सीधी भर्ती 03 अधिसंख्या अस्थायी पदों का सृजन 28 फरवरी,2011 तक के लिये किया गया । इस प्रकार कुल 637 अधिसंख्या अस्थायी पदों का सृजन किया गया है।

miss r 2

2– इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या–सां0सेल/121/मण्डलीय उपसंवर्ग/ अधिसंख्य पद/07 दिनांक 25 फरवरी,2014 में प्राप्त संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2301/9–6–08–2(22)/2007 दिनांक 17.10.2007 द्वारा सीधी भर्ती/पदोन्नति के लिये सृजित 634 अधिसंख्य अस्थायी पदों में से 18 पद तथा शासनादेश संख्या–428/9–6 –2010–2(22)/2007 दिनांक 13 अप्रैल, 2010 द्वारा समूह ग के सीधी भर्ती के अंतर्गत सृजित 03 अधिसंख्य अस्थायी पदों में से 01 पद अर्थात् कुल 19 पद जिन्हें नागर निकायों द्वारा समायोजित किया गया है, को समाप्त करते हुये अर्थात् कुल 618 पदों की वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक के लिये इस शर्त के साथ निरन्तरता प्रदान की जा रही है कि प्रश्नगत पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों से नियमित पद उपलब्ध होने के उपरान्त इन अधिसंख्य पदों को नियमित रूप से समायोजित किये जाने तथा समायोजन की समुचित सूचना निदेशालय, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ/नगर विकास विभाग को सूचित करने हेतु सम्बन्धित निकाय के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–2574/दस–98–24 (8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर,1998 में प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिहित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव ।

संख्या–586 /नौ–6–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की प्रति अपने जनपद की सम्बन्धित निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अपने स्तर से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3– सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ)
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 ।
5– वित्त (लेखा) अनुभाग–2/कार्मिक अनुभाग–2 ।
6– नगर विकास अनुभाग–1 ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
अनु सचिव ।

miss r 2

संख्या– 536(1)/9–6–2014–1(12)/2007

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2014**

विषयः– उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अंतर्गत नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैकलाग की रिक्तियों की पूर्ति हेतु सृजित किये गये समूह–ग एवं घ के अधिसंख्य पदों को बनाये रखने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सां0सेल/121/मण्डलीय उपसंवर्ग/अधिसंख्य पद/07 दिनांक 25 फरवरी,2014 के संदर्भ में अवगत कराना है कि उ0प्र0 पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग /अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यमान बैकलाग की रिक्तियों को भरने हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0लखनऊ की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या–2383/9–6–07–1(12)/07 दिनांक 17.10.2007 द्वारा नगर पालिकाओं/ नगर पंचायतों के लिये समूह–ग एवं घ के अधिसंख्य 1481 के सापेक्ष 507 पद समायोजित करने के उपरान्त 942 पद एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17.10.2007 द्वारा नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के लिये समूह ग एवं समूह घ के अधिसंख्य 624 पद के सापेक्ष 199 पद समायोजित करने के उपरान्त 419 पद शासनादेश संख्या–1442–9–6–07–1(12)/07 दिनांक 16.06.2008 द्वारा नगर पालिकाओं /नगर पंचायतों के लिये समूह–ग एवं घ के अधिसंख्य पद 66 के सापेक्ष 07 पद समायोजित करने के उपरान्त 59 पद, शासनादेश संख्या–375/ नौ–6–08–1(12)/ 07 दिनांक 18.02.2008 द्वारा नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के लिये समूह घ के 328 अधिसंख्य पदों के सापेक्ष 92 पद समायोजित करने के उपरान्त 236 पद शासनादेश संख्या–770/नौ–6–09–1(12)/07 दिनांक 23 सितम्बर,2009 द्वारा नगर पालिकाओं /नगर पंचायतों के लिये समूह घ के 13 अधिसंख्य पदों के सापेक्ष शून्य पद समायोजित करने के उपरान्त 13 पद एवं शासनादेश संख्या–4416/नौ–1–11–75सा/2010, दिनांक 23.12.2011 द्वारा नगर पंचायत के लिये समूह घ के लिये 01 अधिसंख्य पद के सापेक्ष 01 पद समायोजित करने के उपरांत शून्य पद इस प्रकार कुल 2513 के सापेक्ष 806 पद समायोजित करने के उपरांत अवशेष 1707 पदों में से निदेशक, स्थानीय निकाय की संस्तुति दिनांक 2008 के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश दिनांक 17.10.2007में से 38 पदों को आवश्यकता न रहने के कारण शासनादेश संख्या–506/नौ–6–08–1

miss r 2

(12)/07 दिनांक 23.04.2008 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अर्थात् अवशेष कुल 1669 पदों की वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 28.02.2014 तक अथवा इन पदों पर कार्यरत कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अन्य कारणों से नियमित पद उपलब्ध होने तक अथवा इसके पूर्व इन पदों को समाप्त किये जाने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिये बनाये रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–2574/दस–98–24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर,1998 में प्रशासकीय विभाग के प्रतिनिहित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव ।

संख्या– 556 (1)/नौ–6–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस आदेश की प्रति अपने जनपद की सम्बन्धित निकायों के अधिशासी अधिकारियों को अपने स्तर से तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3– सम्बन्धित अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ)
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 ।
5– वित्त (लेखा) अनुभाग–2/कार्मिक अनुभाग–2 ।
6– नगर विकास अनुभाग–1 ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
अनु सचिव ।

miss r 2